बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 01/12/2017

अधिसूचना

संख्या-नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-02/ 2015 ..1188...चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-1 में अंकित विभिन्न सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।**

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 05.01.2018 (शुक्रवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1091 दिनांक 07.11.2017 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.10.2017 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30.11.2017 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए **प्रपत्र-ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना **दिनांक 11.12.2017 (सोमवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 6** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1188 पटना/ दिनांक 01/12/2017

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1188 पटना/ दिनांक 01/12/2017

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1188 पटना/ दिनांक 01/12/2017

प्रतिलिपि : संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधि दिनांक 09.12.2017 (शनिवार) तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1188 पटना/ दिनांक 01/12/2017

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1188 पटना/ दिनांक 01/12/2017

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1188 पटना/ दिनांक 01/12/2017

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ उप सचिव/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.12

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1

निर्वाचन देय सहकारी समितियों की सूची

क्र॰	जिला का नाम	प्रखंड	समिति का नाम
1	2	3	4
1	पटना	पटना सदर	कदमकुऑ सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0
2	समस्तीपुर	समस्तीपुर	समस्तीपुर जिला को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, काशीपुर
3	समस्तीपुर	समस्तीपुर	समस्तीपुर जिला मधुमक्खी पालन उधोगिक सी0सी, काशीपुर
4	समस्तीपुर	समस्तीपुर	समस्तीपुर सी0सी स्टोर न0-2 लि0, काशीपुर
5	समस्तीपुर	समस्तीपुर	समस्तीपुर मिस्त्री उत्पादक सहयोग समिति लि0, काशीपुर
6	मधुबनी	बेनीपट्टी	कटैया ग्रामोदय सहयोग समिति लि0
7	मधुबनी	बेनीपट्टी	कटैया श्रमिक सहयोग समिति लि0
8	मधुबनी	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी प्रखंड ग्रामीण सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0
9	शिवहर	शिवहर	अभिराजपुर बैरिया ईट उत्पादक औधोगिक सहयोग स0स0लि0
10	गोपालगंज	बैकुण्ठपुर	रेवतिथ प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि0
11	सीतामढ़ी	डुमरा	डुमरा चर्म उद्योग औद्योगिक स0स0लि0
12	सीतामढ़ी	डुमरा	कैलाशपुरी वार्ड सं0 1, 2 एवं 3 महिला विकास स0स0लि0
13	सीतामढ़ी	डुमरा	आदर्श महिला विकास स0स0लि0, आनंदनगर
14	सीतामढ़ी	डुमरा	आर0बी0एस0 सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0

अनुलग्नक-1 में उल्लिखित समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	11.12.2017 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	26.12.2017 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	27.12.2017 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	28.12.2017 (गरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	05.01.2018 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	05.01.2018 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)